क्या COVID-19 के कारण आपको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है?

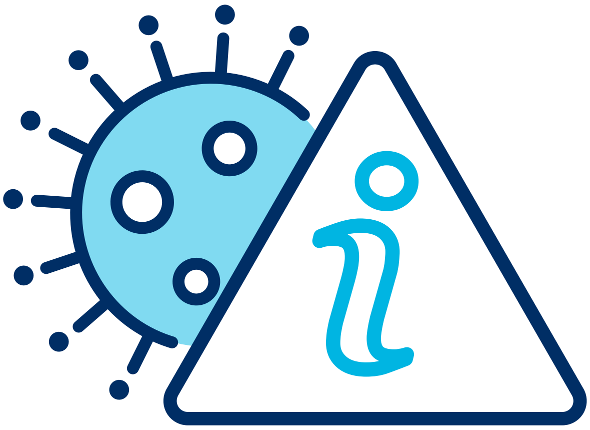

यदि सीमित गतिविधि आदेश या लॉकडाउन के कारण आप नौकरी नहीं कर सकते/सकते हैं तो हो सकता है कि आप **COVID-19 आपदा भुगतान** प्राप्त करने में सक्षम हों।

आप महामारी अवकाश आपदा भुगतान प्राप्त करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं यदि आप नौकरी नहीं कर सकते/सकती हैं और या तो:

- राज्य या राज्य-क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने आपको एकाँतवास (आइसोलेट) या संगरोध (क्वारंटाइन) करने के लिए कहा है क्योंकि आप किसी पुष्टि किए गए मामले के क्लोज़ कांटेक्ट (करीबी संपर्क) हैं या आपको COVID-19 है
- या आप COVID-19 से ग्रस्त किसी व्यक्ति की देखरेख कर रहे/रही हैं।

आप लंबी अवधि की आर्थिक सहायता के लिए भी पात्र हो सकते/सकती हैं। आप क्या प्राप्त कर सकते/सकती हैं इसके लिए हमारा Payment and Service Finder देखें: **servicesaustralia.gov.au/paymentfinder**

यह जांच करने के लिए कि क्या आप भुगतान प्राप्त कर सकते/सकती हैं या नहीं, **servicesaustralia.gov.au/covid19** पर जाएँ या यह QR कोड स्कैन करें

15433HI.2107 - Hindi